(52)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3631-दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-8-2012 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 113/अपील/2010-11

राधाबल्लभ मंदिर लोक न्यास
द्वारा न्यासी कुमारी शांति सक्सैना पुत्री नरवदा चरण लाल
निवासी बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1-श्रीमती क्षमा पाठक पत्नि श्री सुरेश पाठक
निवासी वार्ड नम्बर 08 नगर पंचायत बरेली तहसील बरेली
जिला रायसेन
2-अतुल कुमार पारिख वल्द नन्हू उर्फ नरेन्द्र पारिख
निवासी मकान नम्बर एच0टी0 89 रामानन्द नगर
लालघाटी भोपाल म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री आई0पी0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-8-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्षमा पाठक द्वारा तहसील न्यायालय बरेली के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय

का प्रस्तुत किया कि उसने तहसील बरेली स्थित भूमि खसरा नम्बर 338 रकबा 0.142 हेक्टेयर भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1-9-2009 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 से क्रय की गई है। अत: उक्त प्रश्नाधीन भूमि का नामान्तरण अनावेदक क्षमा पाठक के नाम से किया जाये । तहसील न्यायालय प्रकरण पंजीबद्ध कर जॉच उपरांत तहसील न्यायालय बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-9-2009 के द्वारा विवादित भूमि पर क्रेता का नामान्तरण स्वीकृत किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3-1-2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 21-8-2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) प्रकरण में वादग्रस्त पंजीकृत लोक न्यास की संपत्ति होने के कारण धारा 14 लोक न्यास अधिनियम 1951 के अनुसार पंजीयक लोक न्यास की पूर्व अनुमति के बिना विक्रय विधि मान्य नहीं है।

(2) जिला पंजीयक के कलेक्टर को प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार वाद ग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र में स्टाम्प की शासन को राजस्व हानि तथा स्टाम्प की कमी के दस्तावेज को वैध मानकर स्टाम्प एक्ट की धाराओं के प्रावधानों के प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों ने वादग्रस्त भूमि को पंजीयत लोक न्यास की संपत्ति होने के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति के निराकरण लोक न्यास पंजीयक को पक्षकार बनाये बिना निराकरण करने में भूल की गई है ।

(4) आयुक्त न्यायालय ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को तथ्य विषयक समवर्ती निष्कर्ष मानकर आदेश पारित करने में भूल की गई है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश की श्रेणी में नहीं आता है ।

(6) लोक न्यास अधिनियम के स्पष्ट विधिक प्रावधानों की तुलना में संहिता की धारा 117 के अवधारणा के आधार पर पारित आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की गई है ।

(7) निगरानीग्रस्त आदेश में व्यवहार न्यायालय में पूर्व से लंबित प्रकरण को अनदेखा कर नामान्तरण को वैध होने के निष्कर्ष देने में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं कर सारवान भूल की गई है ।

(8) वादग्रस्त भूमि का व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित के तथ्य के बावजूद वाद्ग्रस्त भूमि का विक्रय वैध आदेशित करने में निगरानीग्रस्त आदेश संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है । उनके निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारितआदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने व समवर्ती निष्कर्ष होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19-02-2002 को को व्यवहार न्यायालय ने प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रेता अनावेदक क्रमांक 2 का स्वत्व माना है तथा आवेदक का स्वत्व नहीं है ऐसा निष्कर्ष दिया है । आवेदक द्वारा अपने स्वत्व को प्रमाणित करने का कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-8-2012 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-8-2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर